कार्यालय जिला परिषद्, नवादा।

(12)

सेवा–निवृत कनीय अभियंता के नियोजन हेतु विज्ञापन

पंचायती राज विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2325/पं0रा0 दिनांक–12.03.2024 के आलोक में कार्यालय जिला परिषद्, नवादा अन्तर्गत रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार/जिला परिषद्/बोर्ड/निगम/लोक उपक्रम से सेवानिवृत कनीय अभियंता से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है :–

क्र0 सं0	पदनाम	संविदा पर नियुक्ति हेतु पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	कनीय अभियंता	अत्यंत पिछड़ा वर्ग–01 अनारक्षित–02	
2.	सहायक अभियंता	अत्यंत पिछड़ा वर्ग–01 अनारक्षित–01	

आवेदन पत्र दिनांक–11.09.2024 तक कार्यालय जिला परिषद्, नवादा में कार्यालय अवधि में अपराह्न 05:00 बजे तक स्वयं या निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

संविदा पर नियोजन हेतु शर्त निम्न प्रकार है :–

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा स पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद्, द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सेवकों का संविदा विस्तार प्रमण्डलीय आयुक्त की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। परन्तु वैसे पदों जिनकी सेवानिवृति की आयु भी 65 वर्ष निर्धारित है पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी।
2. संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत सेवकों का चयन किये जाते समय उनके अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
3. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गम्भीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं हैं।
4. संविदा पर नियोजत कर्मियों के मानदेय उन्हे प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही देय होगा।
5. मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
6. नयी पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक उपक्रमों से सेवानिवृत कर्मियों का संविदा पर नियोजन सेवानिवृति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

ऐसे संविदा पर नियोजन कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैण्ड का आरंभिक वेतन/वेतन स्तर (पे–लेवल) का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य मंहगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार त्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में

सेवानिवृति के समय वेतन+मंहगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

7. नियोजित संविदा कर्मियों को जिला परिषद् के साथ एक एकरारनामा विहित प्रपत्र में करना होगा। जिसमें नियम एवं शर्तें रहेगी।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाऐगी और कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्ध कर दी जायेगी।
9. जो व्यक्ति जिस जिला परिषद् में कार्य करते हुए सेवानिवृत हुआ है उन्हें उसी जिला परिषद् में संविदा के आधार पर नियोजित नहीं किया जा सकेगा।
10. आवेदन समर्पित करने के उपरांत इसमें त्रुटि सुधार, भुल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा और न ही इसका अवसर दिया जाएगा। आवेदन में दी गई सूचना क आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
11. बिना किसी कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

उक्त सूचना व आवेदन का प्रारूप www.nawada.bih.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

ह0/–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।

ज्ञापांक–986 /जि0परि0, नवादा दिनांक–27/08/2024

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– D.I.O, N.I.C नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि सूचना व आवेदन का प्रारूप को जिला के बेवसाईट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं बिहार के अग्रणी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, नवादा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मगध प्रमण्डल गया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

27.08

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।